(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1355–तीन/2005 – विरूद्ध आदेश दिनांक 27–5–2005– पारित व्दारा – अपर आयुक्त,चम्बल संभाग,मुरैना – प्रकरण कमांक 36/2004–05 अपील

श्रीमती गोमतीवाई पत्नि स्व0मोतीराम ब्राहमण,
ग्राम मानहड़ तहसील मेहगांव जिला भिण्ड ----आवेदक

विरूद्ध

1– प्रियवृत 2– अम्बरीश
3– बेनचकसिंह पुत्रगण दिग्विजय सिंह
अना.3 नावालिक सरपरस्त भाई प्रियवृत
ग्राम मानहड़ तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(दिनांक 2 फ्रवरी, 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,चम्बल संभाग,मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 36/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–5–05 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक ने मौजा मानहड़ की भूमि सर्वे कमांक 42 रकबा 0.757 हैक्टर एंव 44 रकबा 0.230 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि लिखा

गया है) पंजीकृत विकय पत्र से कय की एंव नायव तहसीलदार वृत्त गोरमी के समक्ष नामान्तरण आवेदन दिया। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 13/05-06 अ-6 दर्ज कर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 24-6-04 पारित करके विकय पत्र के आधार पर केता अनावेदकगण का नामांत्रण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 63/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 4-11-04 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 36/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 27-5-05 से अपील निरस्त हुई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में दिये गये आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि सामिलाती है जिसमें आवेदक का हिस्सा 1/3 है परन्तु सामिलाती भूमि को बिना सहमति लिये एंव बटवारा कराये बिना आवेदक के लड़के ने गलत ढंग से विकय किया है जब आवेदक ने नामान्तरण पर आपत्ति की तो नायव तहसीलदार ने आपत्ति पर विचार नहीं किया । प्रकरण में इस्तहार का प्रकाशन समुचित ढंग से नहीं किया गया है और न ही सामिलाती कृषकों को व्यक्तिगत सूचना दी गई है। नायव तहसीलदार ने साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया है। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने की प्रार्थना की।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात है कि आवेदक ने नामांत्रण प्रकरण में आपत्ति दर्ज कराई है एंव वह विचारण न्यायालय में पैरबी हेतु उपस्थित रही है तब यह नहीं माना जा सकता कि इस्तहार का प्रकाशन समुचित ढंग से नहीं किया गया। यदि इस्तहार का प्रकाशन नहीं किया गया होता, आवेदक विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई होती। इस्तहार बावत् की गई आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है।

6/ जहॉ तक सामिलाती भूमि में हिस्सेदार बेटे व्दारा भूमि विक्रय किये जाने का प्रश्न है। रिकार्डेड भूमिस्वामी अपने हिस्से की भूमि विक्रय करने अथवा अन्य प्रकार से प्रयोग करने हेतु स्वतंत्र है एंव केता को वही स्वत्व प्राप्त होंगे, जो विकेता को थे। आवेदक अभिभाषक ने यह आपत्ति भी की है कि सामिलाती भूमि को बिना बटवारा किये विक्रय नहीं किया जा सकता। आवेदक स्वयं् के नाम की भूमि का बटवारा कराने अभी भी स्वतंत्र है जिसके कारण यह आपत्ति भी माने जाने योग्य नहीं है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन से उनके व्दारा निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त,चम्बल संभाग,मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 36/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-5-05 स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर